

निर्णय  
30.4.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सुरजभान बनाम रामकुमार आदि  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 182 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
24.04.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.04.2025 को पेश हो।	
28.4.2025	वकील <del>पुत्रावली</del> ने प्रार्थना पत्र मिलाव देवी देवा करने पर पुत्रावली को देवी में लिखा गया कुलार फरिडेन उपरिधती पुत्रावली को 10/04/25 के हकिये <del>वकील रामकुमार</del> उपरिधती आकर दफ्तार हाका पेश किया जिसे शामिल करके लिखा गया पुत्रावली पुत्रावली वाले स्टेट पत्रावली तारीख 30.4.2025 को पेश हो।	<p>शायक 21/2</p> <p>रि. 1. 1/2/25</p> <p>रि. 1. 1/2/25</p> <p>रि. 1. 1/2/25</p> <p>दया कुमारी माया रेखा कुमारी हावित्री</p>
30.4.2025	कुलार फरिडेन उपरिधती स्टेट पत्रावली पुत्रावली व देवा पुत्रावली को अक्लोकन लिखा गया पुत्रावली पर उपरिधती पिगरी आई व वादी पुत्रावली की मजहारी के आधार पर वाद वादी डिक्ली किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल करके लिखा जाके पुत्रावली नम्बर के काम की जाकर वाद तदतीव तकमील जाता हा फाखिल दफतर हो।	

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

